

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(रीवा सर्किट कोर्ट रीवा)



हंसलाल कुशवाहा तनय बबई कुशवाहा, सा0 कचनी, तहसील व जिला
सिंगरौली म0प्र0

आवेदक

बनाम्

- 1- कशिम हुसैन पिता अब्दुल रउक मुसलमान सा0 बैढ़न, तहसील
सिंगरौली जिला सिंगरौली म0प्र0
- 2- कौशिल्या पत्नी कामता नाथ गोस्वामी ।
- 3- ददनू प्रसाद कुशवाहा वल्द रामदास कुशवाहा
- 4- मुन्ना गोस्वामी बल्द जमुना गोसाई
- 5- परमसुरत तनय रामदास
- 6- जैतुनिया पत्नी रामदास कुशवाहा
सभी निवासी ग्राम कचनी तहसील, जिला सिंगरौली म0प्र0
- 7- म0प्र0 शासन

अनावेदकगण

नगरानी विरुद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान्
उपखण्ड अधिकारी महोदय सिंगरौली के
प्र0क0 154/अपील/16-17 में पारित
आदेश दिनांक 23.02.2017

अंतर्गत 50 धारा भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर

// प्रकरण के तथ्य //

यह कि भूमि खसरा नं0 2433 रकवा 0.30ए0 स्थित ग्राम कचनी,
तहसील, जिला सिंगरौली आवेदक की पैतृक भूमि है, जो वर्तमान में सात
हिस्सो में विभाजित है । तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 8अ-3/13-14
आदेश दिनांक 16.12.2013 में वादित भूमि के नक्शा तरमीम कराये जाने
का आवेदन पत्र आवेदक ने दिया जिससे आवेदक के तत्कालीन कब्जा
दखल व स्वत्व के अनुसार नक्शा तरमीम का आदेश पारित किया गया
है तथा भू-अभिलेखों में भी आदेश के अनुसार नक्शे में सुधार कर दिया
गया । उक्त नक्शा तरमीम के प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 02 व 06 ने

RS1283117

अधिकांश अजनी कुसानी,
बारा पल्लुना 23-3-17
mu

mu

15/02/17



15/02/17

(316)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0/5128-दो/2017

जिला-सिंगरौली

हंसलाल कुशवाहा/काशिराम हुसैन

| (1) | (2) | (3) |
|----------|---|---|
| 24.04.19 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 154/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p> |  |